भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार

क्या आपने किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट या प्लॉट की बुकिंग की है? अगर हाँ, तो कृपया ध्यान दें!

1. आपको प्रोजेक्ट की प्रगति की नियमित जानकारी रेरा बिहार की वेबसाइट https://rera.bihar.gov.in के माध्यम से प्राप्त करनी चाहिए।

2. रेरा बिहार की वेबसाइट https.//rera.bihar.gov.in के 'एलौटी डिटेल' पर आवेदित करने पर प्रगति की जानकारी आपको हर तिमाही में व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जायेगी।

3. किसी प्रोजेक्ट में आधे से अधिक फ्लैट/प्लॉट की बुकिंग हो जाती है, तो बिल्डर को एलौटी एसोसिएशन अनिवार्य रूप से गठित करना है। प्रोजेक्ट के पूर्ण हो जाने के बाद प्रोजेक्ट के कॉमन एरिया एवं सामान्य सुविधाओं पर एलौटी एसोसिएशन का ही अधिकार होता है।

4. प्रोजेक्ट के Completion Certificate (CC)/Occupancy Certificate (OC) मिलने के तीन माह के अन्दर बिल्डर को फ्लैट/प्लॉट का निबंधन एलौटी के नाम पर कर देना है।

5. प्रोजेक्ट के पूरा होने की पाँच वर्ष के अवधि में अगर बिल्डिंग में कोई 'स्ट्रक्चरल डिफेक्ट' है या वादे के अनुसार काम कर के नहीं दिया गया है तो एलौटी इसकी जानकारी बिल्डर को दे सकते हैं एवं बिल्डर को यह काम 30 दिनों के अन्दर कर देना होगा। ऐसा नहीं करने पर एलौटी बिल्डर के विरुद्ध प्राधिकरण (रेरा) में हर्जाना (compensation) पाने हेतु शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

6. बिल्डर के विरुद्ध अन्य किसी शिकायत को भी प्राधिकरण में ऑनलाइन https://rera.bihar.gov.in/public/login?ReturnUrl=%2fpublic पर दर्ज किया जा सकता है।

जागरूक गृह क्रेता,
सदा रहे विजेता।

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार

क्या आप फ्लैट या प्लॉट खरीदने जा रहे हैं?
अगर हाँ, तो कृपया संतुष्ट हो लें कि

1. कया सम्बंधित प्रोजेक्ट की रेरा निबंधन संख्या BRERAP अक्षरों से शुरू होती है?

2. क्या रेरा बिहार की वेबसाइट https://rera.bihar.gov.in पर उक्त निबंधन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है? (इस वेबसाइट पर '*सर्च प्रोजेक्ट*' पर जाकर प्रोजेक्ट का नाम डालकर इसकी निबंधन संख्या की जाँच कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोजेक्ट के निबंधन सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं।)

3. क्या आपके द्वारा पैसा लगाने के पहले, आपका 'अग्रीमेंट फॉर सेल' निबंधित किया गया है?
ध्यान रहे!

(क) बुकिंग राशि कभी भी फ्लैट/प्लॉट के कुल मूल्य का 10% से अधिक नहीं हो।
(ख) बुकिंग राशि एवं आगे का भुगतान प्रोजेक्ट के मास्टर अकाउंट में ही हो।
(ग) इस अकाउंट का विवरण प्रोजेक्ट के निबंधन सर्टिफिकेट पर अंकित हो।

4. क्या जिस फ्लैट/प्लॉट की बुकिंग हो रही है, वह प्रमोटर के हिस्से का ही है?
ध्यान रहे!

(क) इसका विवरण भी प्रोजेक्ट के निबंधन सर्टिफिकेट पर अंकित रहता है।
(ख) प्राधिकरण (रेरा) के संज्ञान में ऐसे कई मामले आये हैं की रेरा निबंधित एजेंट अपनी निबंधन संख्या को दिखाकर भी फ्लैट/प्लॉट आदि की बिक्री कर रहे हैं।
(ग) एजेंट निबंधन से यह गारंटी नहीं है कि सम्बंधित प्रोजेक्ट भी निबंधित है।
(घ) निबंधित एजेंट सिर्फ रेरा निबंधित प्रोजेक्ट के फ्लैट/प्लॉट की बिक्री में सहायता/मार्गदर्शन कर सकते हैं अन्य किसी प्रोजेक्ट में नहीं।
(ङ) एजेंट की निबंधन संख्या BRERAA अक्षरों से शुरू होती है जबकि प्रोजेक्ट की निबंधन संख्या BRERAP अक्षरों से शुरू होती है।

रेरा पहले, या बखेड़ा बाद में,
तय आप ही को करना है।